Annexure – II

Proceedings of Environmental Public Hearing conducted on dated: 22-08-2019 on the proposal submitted by M/s Kathla Mata Stone Crusher (Proprietor Smt. Kalpana Devi) for extraction of Stone, Sand & Bajri from Khasra no. 431/2(NEW NO. 476/431) and 432/7(NEW NO. 484/432) measuring 08-73-22 Hectares at Mauza Jaisinghpur, Mohal Bagh Kulja, Tehsil Jaisingpur, District Kangra, Himachal Pradesh.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by M/s Kathla Mata Stone Crusher (Proprietor Smt. Kalpana Devi) for extraction of Stone, Sand & Bajri from Khasra no. 431/2(NEW NO. 476/431) and 432/7(NEW NO. 484/432) measuring 08-73-22 Hectares at Mauza Jaisinghpur, Mohal Bagh Kulja, Tehsil Jaisingpur, District Kangra, Himachal Pradesh was organized on 22.08.2019 at 11.00 AM by H.P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala as per notification No-SO-1533, dated 14.09.2006. This public hearing was organized by the H.P. State Pollution Control Board under the chairmanship of ADM, Kangra at Dharamshala according to prescribed process of public hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed as Annexure-I. In this public hearing Panchayat Pradhan of concerned and nearby Panchayats, other public representatives & residents of local Panchayats were present. First of all Er. Brij Bushan, Regional Officer. H.P.S.P.C.B. Dharamshala welcomed the Chairman, officers and officials of various Departments, representatives of all Panchayats, local public, project proponent and their consultants. He requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections regarding the proposal submitted without any fear and pressure, and then he requested the Chairman to kindly permit to start the Public Hearing. The Chairman permitted to start the process of public hearing. ADM, Kangra at Dharamshala also requested the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease without any fear and pressure from any corner. After that R.O. HPSPCB requested the project proponent to present the details about their proposal. The detailed description regarding this proposed Mining Area and the EIA report was given by the consultant of the unit. Videography of the public hearing was also done. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here.

Scanned by CamScanner

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
	Sh. Elmudeen - Pradhan, Gram Panchayat kulja, mauza and Mahal Bagh kulza Tehsil Jaisingpur, Distt. Kangra (H.P.)	Firstly he welcomed all the people present. He opposed the project proposal and asked the committee to record his complaints. He said that, already there are few existing crushers established near river Beas which causing environment pollution. He said that as per the rules mining more than 1 meter is not allowed. Mining starts here from Haroti khad to Haroti Bridge and requested the Chairman to visit the mining site and get the videography carried out of the mining sites and to send the same to the ministry. He said that they have been opposing the mining activities in the area and their request is not being considered. He said that the noise pollution is being created by the crushers and the dust from these crushers settle down in the houses of surrounding Panchayats which is causing very high pollution. Due to the crushers there is damage to life and material and one boy has already lost his life as he drowned in the pit created due to mining activities which was filled with water. We people have been opposing many times in this regard and no minig lease in the area should be issued. The crusher should not be within 100 meter range from the khud/river. The sources of drinking water are getting polluted. Due to the mining activities, the water level goes down. He said that the owner of the crusher is not having good behavior towards the people and usually makes false allegation against the people to drag into the court and also abuses them.	It was informed by Mrs. Diksha Gupta, consultant of the unit that during the rainy season, the sand, bajri and stone gets collected in the river. The mining activities help in maintaining the flow of river and if the sand, stone and Bajri are not collected/mined, then the water level will rise and the water will overflow in the land on the banks of the river. The applied area by the project proponent is private land area measuring 08-73-22 hectre with the proposed production capacity of 1 lakhs 395 MT/YEAR. As per the study, in this river 23 lakh 57 thousand million tons of sand, Bajri and stones get accumulated in every rainy season. Only 4 percent mining of the total capacity is proposed to be done. The mining activities fall under A and B category. Here there are three more mining leases in the area of 500 meters of the proposed mining lease, so this mining lease falls in category B. The studies of the area have been carried out and the water, air and soil are within the prescribed standards. So due to the mining activities, there will be no effect. As far as mining depth is concerned, the mining lease owner is allowed to mine up to 1 meter depth and this is ensured by the mining

Scanned by CamScanner

			officer of the area. She further informed that the mining will be done manually.
2.	Sh. Jaswant Dhiman, Retired IAS, VPO Lambagaon Tehsil Jaisingpur, Distt. Kangra(H.P.)	He said that the proportion given for mining in the rules of 1971 is equal to 1 and 4, the length of the ratio being taken here is approximately between 1 and 4, about which only the section of the division should be explained. As informed by the consultant here, there will be no effect due to the mining activities, but already here 04 crushers and 02 hot mix plants are running. He further questioned that where will our water go? He said that as per the plan of Hon'ble Prime Minister to clear 05 rivers like the Ganges, in which the name of Beas river is also included and in this regard the views have been sought from all the departments. The people demand for a hospital and school, but we do not get anything, and you are donating 04 crushers and 02 hot mix plants to us for sound pollution, air pollution and water pollution. What is the result of these, we want to give our suggestions on this too. No one wants to buy our land today. The children are not able to sleep at night. Due to these crushers, the villages are getting empty, the land is getting deserted, the condition of the roads has got shaken and entire accidental zone has been formed because the vehicles are plying day and night. It has been informed that the mining will be done up to 1 meter, but here the mining is being done upto 20 meters. The land here is rectangular in shape and the river is flowing vertically on this land. So when there is flood situation in the rainy days, the pits created by carrying out of mining activities will get filled due to the soil erosion caused by the water in the nearby land by its natural cutting, thereby leading the land of the public to convert to river bed. He further	The consultant informed that the studies have been conducted at 6 locations and the EIA report has been submitted to Himachal Pradesh State Pollution Control Board. This report has also been published by Himachal Pradesh Pollution Control Board on its web site and they have published the public notice regarding the public hearing in two leading English and Hindi newspapers. She informed that the public hearing is regarding the mining lease and not for setting up of the crusher, so they have to work according to the guidelines of the Government of India. It is the Government of India that allows us to monitor the identified location.

Scanned by CamScanner

		questioned on the working of the mining department in this regard. He informed that the approach roads for the plying of the vehicles by the various crushers passes either through the government land or private land and all these crushers cannot run their vehicles above the land of the department. They have no way to carry things. He requested to inspect all the three Crushers in the area and its nearby areas. As per the rules, digging up to 3 feet depth is allowed, but here in hadoti area, the depth of the mined area is around twenty feet and at some places it has exceeded 30 feet. Multiple departments have been authorized to stop illegal mining, but no action is done. He questioned the district administration how many times the mining areas have been inspected by the officials. He also raised the issue that due to the illegal mining, deep pits are being created in the range of 20 to 30 feet, which also threatens the bridges and our private land. He also requested the district administration to inspect the area. He also informed about the noise level parameters for the industrial area and residential area. He finally raised his objection against the proposal of the unit.	
3	Sh. Ram Chand Bhandari, VPO kulja, Tehsil Jaisinigpur, Distt. Kangra (H.P.)	He said that nobody comes here for checking and the Himachal government is asleep. He said that their land should be inspected to check whether it is worth doing any agricultural activity or not. He desired that their message should reach the Chief Minister of Himachal Government. He finally registered his objection against the proposal.	

Scanned by CamScanner

	Sh. Satish Sharma, Vill Kutlahan, PO Lambagaon, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.)	Firstly he welcomed all the people present. He informed that the land in the area was used for cultivation and for the grazing of animals. He further said that the Vijay Stone Crusher do not have any social obligation for the local public neither he helps any needy people. He informed that there is a temple of Kabir Panthis nearby which has got damaged and the people want the temple to be rebuilt, but he is also not willing to help them. If any industry is set up and if there is any loss to the people due to that industry, then the industry will have to compensate for it. All the crushers are using the same approach road and only the adjoining stone crusher named Mata Asha Puri stone crusher have constructed some part of the road adjacent to it and the other crushers do not want to spend a single penny on it. He said that no more crushers should be installed here so that there is no harm to tourism. There are already 3 crushers running here. He said that there is a water scheme here, which falls in Hamirpur district; which is also suffering a huge loss and despite of such big projects, we are still craving for water. He urged all the people that they too should raise their hands against the proposal. He finally lodged his objection against the proposal.	
5	Sh. Vinay kumar Sharma, VPO Baag kulja, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra(H.P.)	He requested the Chairman to inspect the area. He informed that the water level of the area has gone down due to which there is not water in the hand pumps. Due to the crushers we have already lost out land and further we will not allow to ply their vehicles in our land. He also expressed his thoughts about the noise and air pollution. He informed that the temple has been destroyed due to mining activities. He finally lodged his objection against the proposal.	
6	Sh. Manohar singh, Member of Gram Panchayat, Vill Kulja, Tehsil	He said that a copy of the proceedings of this public hearing should also be made available to them. He said that they have not been provided with written notice of	

Scanned by CamScanner

	Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.)	this public hearing and if there is any public hearing in this area, then written information should be made available to them. He informed that there is a water scheme of 17 crores running here and there are 5 percolation wells in that scheme in which 2 wells have stopped working. It seems that the water of the wells have started drying up due to mining, If this process continues like this, then within 2–3 years, the 17 crore scheme given by the government will stop functioning. The entire village is against mining. He demanded from the administration that the ideas they have put here should reach the Ministry of Environment and this mining lease should be canceled. He asked that if an officer has collected any figures of this mining lease, they should be made public. He also expressed his views about sound and air pollution. He finally lodged his objection against the proposal.	
7	Sh. Balbir singh, Vill Kulja, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.)	He said that he is with the objections lodged by the others. Mr. Jaswant Dhiman, who has expressed his views, has raised the technical points. He said that the stone crusher here have also excavated their cremation ground. He said that the the public is against this mining. Many animals fall into the excavated pits and die due to drowning. He questioned whether the mining can be done by hand or not. The mining is done with the JCB at night time. If this public hearing had been in some other place then there would have been more gathering. The crusher people threaten the people to file false cases against them and we donot want to get involved in court matters. He finally lodged his objection against the proposal.	
8	Sh. Kulwant Rana, Mata Asha puri Stone crusher Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra(H.P)	He said that there should be no loss to his crusher due to this proposed mining lease.	

Scanned by CamScanner

9	Sh. Shamsher singh, Soma stone crusher, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.)	He said that there should be no loss to his crusher due to this proposed mining lease. He informed that their crusher has suffered a loss of Rs. 5 to 7 lakh in this rainy season as the river was flooded. He opposed the proposal of the mining lease as it will cause loss to his crusher in future.	
10	Sh.Vinod Sharma ,Up Pradhan Gram Panchayat Kulja, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.)	He said that the mining is carried out at the night time and the department should check the same in the night. We have been told that the government has banned mining, yet mining is happening here. The Noise and Air Pollution is happening here due to the crushers. He said that if this mining lease is approved, then we will raise our voice against it. He finally lodged his objection against the proposal.	
11	Sh. Ajay Mehra Vice-Chairman Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.)	Firstly he welcomed all the people present. He said that if a person uses a pressure horn in his vehicle, then he is fined for that. These people are also committing crime by mining; all of them should also be punished. He made the administration aware of sound pollution caused due to the crushers. He said that these people will end their next generation by carrying out the mining activities. He said that they were not informed about the public hearing.	
12	Smt. Seema Dhiman, Member of Jilla parishad Lambagaon, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.)	She said that the existing crusher and the vehicles cause huge pollution in the area. Public hearing for the lease/stone crusher was got conducted earlier and we opposed the same, but the permission for mining lease was granted to them. She finally lodged her objection against the proposal.	
13	Smt. Kanta Devi, Mahila mandal Bajrehar, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.)	She also opposed the mining proposal.	
14	Smt. Kesro Devi, Mahila mandal Pradhan Bajrehar, Tehsil Jaisinghpur,	She also opposed the mining proposal.	

Scanned by CamScanner

	Distt. Kangra (H.P.)		
15	Smt. Aneeta Devi Mahila mandal pradhan Tikri, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.)	She intimated the Chairman about noise and air pollution due to the crushers. She said that no water sprinkling is conducted by the stone crushers. The government should close all the crusher installed in the area. She also opposed the mining proposal.	
16	Smt. Reeta Devi, Ward no.2, Vill Kulja, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.)	She intimated the Chairman about noise and air pollution and opposed the plying of vehicles on the road.	

In addition to this, seven number of written Issues/suggestions were received during the public hearing which are also being forwarded along with these proceedings.

At the end Er. Brij Bushan, Regional Officer, HPSPCB, Dharamshala thanked all the officers of different Departments and the public for attending the Public Hearing and concluded the public hearing.

Additional District Magistrate
Kangra at Dharamshala,
District Kangra (H.P.)

Scanned by CamScanner

Annexure – III

श्रीयुत काथला माता स्टोन कशर (प्रोप0 , श्रीमति कल्पना देवी) गा0 व डा0 तियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्या: 431/2 (New No. 476/431) and 432/7 (New No. 484/432) कुल क्षेत्रफल 08–73–22 हैक्टेयर, मौजा जयसिंहपुर, महाल बाग कुलजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरण।

श्रीयुत काथला माता स्टोन कशर (प्रो0 , श्रीमति कल्पना देवी) गा0 व डा0 तियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्या: 431/2 (New No. 476/431) and 432/7 (New No. 484/432) कुल क्षेत्रफल 08–73–22 हैक्टेयर, मौजा जयसिंहपुर, महाल बाग कुलजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 22–08–2019 को प्रातः 11:00 बजे स्टोन कशर, स्थल खनन क्षेत्रके साथ मौजा जयसिंहपुर, महाल बाग कुलजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) में कराया गया। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0.–एस0 ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रकिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कांगडा, (हि.प्र.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक–1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के प्रारम्भ में श्री वृजभुषन, पर्यावरण अभियन्ता ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण, पंचायत प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों, श्रीमति कल्पना देवी व उनके कन्सलटेन्ट का अभिवादन किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रकिया आरंभ की गई एवं श्री वृजभुषन, पर्यावरण अभियन्ता द्वारा उपस्थित जन समुह से अनुरोध किया कि इस खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच, बिना किसी भय एवं दवाव के व्यवत कर सकते हैं, फिर उन्होनें इस परियोजना के मालिकों से इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए अनुरोध किया।

तत्पश्चात श्रीमति कल्पना देवी के कन्सलटेन्ट श्रीमति दक्षा गुप्ता परामर्शदाता द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव पर पड़ने वाले प्रभाव के मुल्यांकन के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री इलमूदीन प्रधान ग्राम पन्चायत कुलजा मौजा जयसिंहपुर, महाल बाग कुलजा, तहसील	उन्होनें सवसे पहले जन सुनवाई में आये हुये कर्मचारी वर्ग व जनता का धन्यावाद किया। उन्होनें कहा कि आज जो जन सुनवाई यहाँ पर रखी गई है, हम सभी यहाँ	श्रीमति दक्षा गुप्ता परामर्शदाता द्वारा रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि खनन् के दौरान

Scanned by CamScanner

Annexure – III

श्रीयुत काथला माता स्टोन कशर (प्रोप0 , श्रीमति कल्पना देवी) गा0 व डा0 तियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 431/2 (New No. 476/431) and 432/7 (New No. 484/432) कुल क्षेत्रफल 08–73–22 हैक्टेयर, मौजा जयसिंहपुर, महाल बाग कुलजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरण।

श्रीयुत काथला माता स्टोन कशर (प्रो0 , श्रीमति कल्पना देवी) गा0 व डा0 तियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 431/2 (New No. 476/431) and 432/7 (New No. 484/432) कुल क्षेत्रफल 08–73–22 हैक्टेयर, मौजा जयसिंहपुर, महाल बाग कुलजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 22–08–2019 को प्रातः 11:00 बजे स्टोन कशर, स्थल खनन क्षेत्रके साथ मौजा जयसिंहपुर, महाल बाग कुलजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) में कराया गया। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0.–एस0 ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रकिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कांगडा, (हि.प्र.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक–1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के प्रारम्भ में श्री वृजभुषन, पर्यावरण अभियन्ता ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण, पंचायत प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों, श्रीमति कल्पना देवी व उनके कन्सलटेन्ट का अभिवादन किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रकिया आरंभ की गई एवं श्री वृजभुषन, पर्यावरण अभियन्ता द्वारा उपस्थित जन समुह से अनुरोध किया कि इस खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच, बिना किसी भय एवं दवाव के व्यवत कर सकते हैं, फिर उन्होनें इस परियोजना के मालिकों से इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए अनुरोध किया।

तत्पश्चात श्रीमति कल्पना देवी के कन्सलटेन्ट श्रीमति दक्षा गुप्ता परामर्शदाता द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव पर पड़ने वाले प्रभाव के मुल्यांकन के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री इलमूदीन प्रधान ग्राम पन्चायत कुलजा मौजा जयसिंहपुर, महाल बाग कुलजा, तहसील	उन्होनें सवसे पहले जन सुनवाई में आये हुये कर्मचारी वर्ग व जनता का धन्यावाद किया। उन्होनें कहा कि आज जो जन सुनवाई यहॉं पर रखी गई है, हम सभी यहॉं	श्रीमति दक्षा गुप्ता परामर्शदाता द्वारा रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि खनन् के दोरान

Scanned by CamScanner

	जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	पर अपना विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं। हमारे सभी लोगों के ब्यान कलमवध किये जायें। उन्होनें कहा कि आज जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और इस ब्यास नदी में जो भी क्शर लगे हुये हैं, उसके जो मापदण्ड हैं उनके अनुसार यहाँ पर 1 मी0 से अधिक खनन नहीं किया जाये। यहाँ पर खनन हरोटी खडड से हरोटी पुल तक शुरू होता है। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि खनन् पटटे में की गई खुदाई का निरीक्षण किया जाये, और उसकी वीडियोग्राफी की जाये और उसकी रिपोट मन्त्रालय को भेजी जाये। हम लोग विलकुल इस खनन के विरोध में हैं। हम लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। उन्होनें जनसुनवाई में लगाये गए टैंट को खुलवाने का भी अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया। यहां से 100 मी0 की दूरी पर हमारी सड़क चलती है, जव क्शर चलते हैं तो वहुत ध्वनि प्रदूषण होता है व क्शर चलने से हमारी साथ लगती पन्चायतों के घरों पर सफेद धूल जम जाती है और वहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। यहां पर खनन से पड़े हुये गडडों में जान माल का नुक्सान भी हो जाता है। यहां पर एक जवान लड़के की गडडे में गिरने से मौत हो चुकी है। उन्होनें वार वार खनन पटटे का विरोध किया और यह भी कहा कि आज के वाद यहां कोई भी खनन पटटा जारी नहीं किया जाये। जो आज तक यहां पर खनन पटटों को मन्जूरी प्रदान की गई है उनको भी बन्द किया जाये। खडड के किनारे से 100 मी0 की दूरी तक कोई भी क्शर नहीं होना चाहिये। यहां पर कोई भी खनन पटटा रेत, बजरी, पत्थर व मिटटी उठाने के लिये मन्जूर नहीं होना चाहिये और जहां गलत खनन हो रहा	रेत, वजरा और पत्थर नदी से उठाये जाते हैं। यह नदी के बहाव को संतुलित करता है, यदि यहां से पत्थर व वजरी नहीं उठाई जायेगी तो वरसात में पानी का स्तर उपर उठेगा और नदी के किनारों पर भूमि कटाव होगा। इनकी निजी भूमि का क्षेत्रफल 08–73–22 हैक्टेयर है और जो प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1 लाख 395 MT/year है। इस ब्यास नदी में हर वर्ष वरसात के दिनों में 23 लाख 57 हजार मि0 टन रेत, वजरी व पत्थर इक्कठा होता है, इसका 4 प्रतिशत ही खनन इनके द्वारा किया जाना प्रस्तावित है खनन् पटटा का आधार ए ओर वी श्रेणी में आता है इनके खनन पटटे की 500 मी0 की परीधी में और भी 3 खनन पटटे हैं इसलिये इन चारों का क्षेत्रफल 40 हैक्टेयर से ऊपर है इसलिये यह खनन पटटा वी श्रेणी में आता है। यहां के हवा, पानी व मिटटी का अध्यन करके देखा गया है कि वर्तमान स्थिति में जो मानक सरकार ने निंधारित किये हैं Within limit ही पाये गए हैं। इसलिए यहां पर खनन् से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक खनन की गहराई का प्रश्न है खनन् पटटा मालिक को 1 मीटर गहराई तक खनन् करने की अनुमति दी जाती और इसे सुनिश्चित करने के खनन् अधिकारी के कार्यक्षेत्र में है। यह जनसुनवाई खनन पटटे में स्वीकृत खनन् योजना के तहत खनन् करने हेतु करवाई जा रही है एवं कोई भी उल्लंघन होने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाती है, इसलिये पानी के वहाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और खनन् केवल चिन्हित नदी तल के क्षेत्र में

Scanned by CamScanner

		है उसको रोका जाना चाहिये। उन्होंनें कहा कि यहां पर पीने के पानी के स्रोत प्रदूषित हो रहें हैं। पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। उन्होंनें कहा कि क्शर के मालिक के द्वारा लोगों को धमकाया जाता है, और लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगा कर कोर्ट में घसीटा जाता है, और वहां पर प्रताड़ित किया जाता है। वर्तमान में लोग केवल अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर रहे हैं परन्तु यदि समस्या ऐसी ही वनी रही तो हम इस क्शर के खिलाफ मौर्चा खोलने से पीछे नहीं हटेंगे।	ही किया जायेगा और खनन mannual ही किया जायेगा।
2.	श्री जसवंत धीमान, गा0 व डा0 लंबागांव तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि नियम 1971 में जो प्रवधान खनन के लिये दिए गये है, उसका अनुपात 1 और 4 के वरावर है यहां पर जो अनुपात ले रहे हैं उसकी ल0 और चौ0 लगभग 1 और 8 के बीच वैठती है। इसके वारे में खनन विभाग ही विस्तार से बता सकता है। यह सारा का सारा केन्द्र सरकार की योजनाओं के विरूद्व है। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी हमेशा जल योजनाओं की बात करते है, कि पानी को व्यर्थ मत गवाओं। यहाँ परामर्शदाता द्वारा बताया जा रहा है कि खनन से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर 04 क्शर और 02 Hot Mix Plant चल रहे हैं। हमारा जल कहां जायेगा। उन्होनें कहा कि माननीय प्रधानमन्त्री जी की योजना है कि गंगा की तरह 05 नदियों को साफ करने की योजना चल रही है उसमें व्यास नदी का नाम भी है और सभी विभागों से विचार भी मागे गये है। मैं हैरान हूं कि हमारा खनन विभाग और साथ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड माननीय प्रधानमन्त्री जी की वात नहीं मानता है। यह योजना भी इसी पर्यावरण	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नें परामर्शदाता को कहा कि इनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों के वारे में उत्तर देने को कहा। अध्यक्ष महोदय ने जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों से भाग लेने का अनुरोध किया और अपने–2 मुददे व्यक्त करने के लिये कहा, ताकि उन पर विचार विमर्श किया जा सके। परामर्शदाता द्वारा वताया गया कि 44 विन्दुओं पर अध्ययन करना होता है, हमनें जो रिर्पोट तैयार की है हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा करवा दी गयी है, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह रिर्पोट अपनी Web Site पर प्रकाशित कर दी गई है, और आप सभी हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यलाय में जाकर इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, हमनें इसके बारे में एक महीना पहले अखवारों में प्रकाशित किया गया है, और यह सार्वजनिक है। परामर्शदाता द्वारा वताया गया कि हर कानून में कोई न कोई कमी रह जाती

Scanned by CamScanner

		जनसुनवाई के साथ लगती हैं, परामर्शदाता द्वारा बताया जा रहा है कि यह B1 के क्षेत्र में आता है। हम लोग यहां पर एक अस्पताल व विद्यालय की मांग करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है, क्या आप हमें 04 कशर और 02 Hot Mix Plant दान में दे रहे हैं, वो भी ध्वनि प्रदूषण, हवा प्रदूषण व पानी प्रदूषण खाने के लिये। इनके परिणाम क्या है हम इस पर भी अपने सुझाव देना चाहते हैं। हमारी जमीनों को कोई भी आज खरीदना नहीं चाहता है। हमारे वच्चे जव स्कूल से पढ़ कर आते हैं तो वो यहां पर न रहने की बात करते हैं जिन वच्चों को रात में सोना नसीव न हो ऐसा लगता है यहां पर जहाज चल रहे हैं। इन्हीं कशर की वजह से गावं खाली हो रहे हैं, जमीनें विरान हो रही हैं, सडकों की हालत भारी वाहनों के चलने से दहनीय हो गई है यहां पर सारा का सारा Accidental Zone बन गया है क्योंकि भारी वाहन दिन व रात में चलते हैं परामर्शदाता हमें बता रही हैं कि खनन 01 मी0 तक किया जायेगा, यहां पर खनन 20–20 मी0 तक किया जा रहा है। अव हम Soil Errosion की बात करते हैं इस जमीन की Shape Rectangular है और दरिया इस जमीन को vertical काट रहा है, जब यहां पर बाड़ आती है तो लोग unscientific तरीके से 30–30 फीट तक की गहराई तक खनन करते है। जिसकी वजह से ऊपर की जमीन नीचे आ जायेगी इनके गडडे भर जायेंगे और ऊपर की जमीन साफ हो जायेगी। जिन लोगों की जमीन बह जायेगी उसके लिये खनन विभाग क्या कर रहा है? उन्होनें कहा कि यहां पर लोग छोटी छोटी जमीनों के	है। आप लोग बार बार कशर की बात कर रहे हैं, यह जन सुनवाई खनन पटटे पर हो रही है, कशर की जन सुनवाई हमारे अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। हमें भारत सरकार के दिशा निंदेषों के अनुसार ही काम करना होता है। भारत सरकार ही हमें चिन्हित स्थान की Monitoring करनें की अनुमति प्रदान करती है। हम भारत सरकार के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। अंत में खनन् पटटा के मालिक व उनके परामर्शदाता द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने का आभार प्रकट किया ।

Scanned by CamScanner

		मालिक हैं और यह सभी कशर वाले उनकी जमीनों पर रास्ते के तोर पर अपनी गाड़ियां चलाते हैं। कुछ जमीन सरकारी व कुछ जमीन वन विभाग के अधीन आती है, गाड़ियों को वही से लाया जाता है। उन्होनें कहा कि यह सभी कशर वाले अपनी गाड़ियों को वन विभाग की जमीन के ऊपर नहीं चला सकते। सामान ले जाने के लिये इनके पास रास्ता नहीं है। अवैध खनन और दानों ही एक दूसरे से सहसंवद्ध हैं और यह सही होगा कि आप तीनों कशरों के क्षेत्रों का निरीक्षण करें। नियमानुसार 3 फीट गहराई तक खुदाई की अनुमति है, परन्तु यहां हड़ोटी व व्यास खडड में गडडों की गहराई 30 फीट से अधिक हो गई है। उन्होनें कशर पर काम करने वाले लोगों का मुददा भी उठाया और परामर्शदाता से पूछा कि क्या इन लोगों का ई0 पी0 एफ0 कटता है ? यहां पर अधिक्र से अधिक विभागों को अवैध खनन् को रोकने के लिये अधिकृत किया गया है, परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। उन्होनें जिला प्रशासन से पूछा कि अधिकारियों के द्वारा कितनी बार खनन् पटटा का निरीक्षण किया गया है, उन्होनें यह मुददा भी उठाया कि अवैध खनन् के कारण 20 से 30 फीट तक गहरे गडडे हो रहे हैं जिससे हमारी निजी भूमि के साथ पुलों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्हींने जिला प्रश्ग्रसन से उक्त क्षेत्र का निरीक्षण करने हेतु अनुरोध भी किया। उन्होनें जो हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के र्निधारित किये गये पेमानों के वारे में भी बताया, कि Industrial area में इसका अनुपात 75 और Residential area में इसका अनुपात दिन में 55 है व रात में 45 है। उन्होनें प्रशासन पर भी अपने प्रश्न	

Scanned by CamScanner

		उठाये। उन्होनें बार–बार परामर्शदाता द्वारा के बताये हुये उतरों का विरोध किया। उन्होनें अन्त में इसके विरोध में अपनी आपति दर्ज करवाई।	
3.	श्री राम चन्द भण्डारी गा0 व डा0 कुलचा तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि हमारे यहां कोई भी नहीं आता है हिमाचल सरकार सोई हुई है, हमारी जमीनो का निरिक्षण किया जाये कि हमारी जमीनें कृषि करने योग्य हैं या नहीं। हमारा सन्देश हिमाचल सरकार के मुख्यमन्त्री तक जाना चाहिये। उन्होनें अन्त में इसके विरोध में अपनी आपति दर्ज करवाई।	
4.	श्री सतीश शर्मा, गा0 कुटलाहन डा0 लंबागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होनें सबसे पहले जन सुनवाई में आये हुये कर्मचारी वर्ग व जनता का धन्यावाद किया। उन्होनें कहा कि कुछ समय पहले यहॉं पर फसल वीजी जाती थी व सारे के सारे पशु यहॉं पर चरते थे। उन्होनें आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि विजय स्टोन कशर ने जनहित में या जरूरत मन्द लोगों के लिये कोई सामाजिक कार्य किया है, यहॉं पर कवीर पन्थियों का एक मन्दिर बना है वो भी गिर चुका है वो लोग चाहते हैं कि मन्दिर दोवारा बनाया जाये, पर कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता है। अगर कोई उद्योग लगता है तो उसके होने से कोई नुक्सान यहॉं के लोगों को होता है तो उद्योग वाले उसकी भरपाई करते हैं। उन्होनें साथ लगते माता आशा पुरी स्टोन कशर का जिक करते हुये कहा कि उनके मालिक ने साथ लगती हुई सड़क का भाग कुछ भाग वनाया है। कुछ कशर वाले सड़क के नाम पर भी एक रु0 भी नहीं लगाना चाहते हैं। उन्होनें कहा कि यहॉं पर ओर कशर न लगाये जायें जिससे पर्यावरण को नुक्सान हो। यहॉं पर पहले ही 3 कशर चल रहे हैं। उन्होनें आगे कहा कि यहॉं पर पानी की एक वहुत बड़ी	

Scanned by CamScanner

		परियोजना है जो हमीरपुर जिला में पड़ती है, उसको भी वहुत वड़ा नुक्सान हो रहा है इतनी वड़ी परियोजना होते हुए भी हम लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। यहाँ पर कशर चलने से वहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण व रात को सोया नहीं जाता है। उन्होंनें सभी लोगों से आग्रह किया कि आप लोग भी इसके विरोध में अपने अपने हाथ खड़े करें। उन्होंनें अन्त में इसके विरोध में अपनी आपति दर्ज करवाई।	
5.	श्री विनय कुनार शर्मा, गा0 व डा0 वाग कुलजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होंनें अध्यक्ष महोदय से क्षेत्र का निरिक्षण करने हेतु अनुरोध किया। उन्होंनें यहाँ पर लगे हुये Handpump के वारे में वताया कि इनमें कशर की वजह से पानी नहीं आता है पानी का स्तर नीचे चला गया है। वरसात में कई लोग मर रहे हैं। कशर वालों ने पहले दूसरी जमीन का नुक्सान किया है अव इसकी वारी है। हम अपनी जमीनों में किसी भी कशर वाले को रास्ता नहीं देंगे। उन्होंनें ध्वनि प्रदूषण व हवा प्रदूषण के वारे में भी अपने विचार प्रक्ट किये। खनन की वजह से मन्दिर ढह गया है सरकारी सम्पति को नुक्सान पहुंचाया गया है, उन्होंनें अन्त में इसके विरोध में अपनी आपति दर्ज करवाई।	
6.	श्री मनोहर सिंह, सदस्य पन्चायत समिति, गांव कुलजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होंनें कहा कि इस जन सुनवाई की एक प्रतिलिपि व वीडियोग्राफी की एक कॉपी हमें भी उपलब्ध करवाई जाये। उन्होंनें कहा कि इस जन सुनवाई की की लिखित सूचना हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उन्होंनें कहा कि इस क्षेत्र में अगर दोवारा कोई जन सुनवाई होती है तो इसकी लिखित सूचना हमें उपलब्ध करवाई जाये। हमारे यहां पर 17 करोड़ की एक पानी की वहुत बड़ी पानी की स्कीम चल रही है और	

Scanned by CamScanner

		भी जिक्र किया। अगर यह जन सुनवाई यहां की वजाये किसी ओर जगह पर होती तो जनता इससे कई गुणा ज्यादा होती। उन्होनें कहा कि जन सुनवाई में कुछ नहीं होता है। कशर वाले जन सुनवाई के बाद हमेशा कोंट की धमकियां देते हैं और झूठे केसों में फसाया जाता है। हम लोग अब कोंट के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं। उन्होनें कहा कि हमारी आने वाली पीड्डी के वारे में सोचें और हमें प्रदूषण से राहत प्रदान करें। उन्होनें अन्त में इसके विरोध में अपनी आपति दर्ज करवाई।	
8.	श्री कुलवंत राणा, मालिक माता आशापुरी स्टोन कशर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि इस खनन पटटा की वजह से हमारे कशर को कोई नुक्सान नहीं होना चाहिये। उन्होनें वार वार अपने कशर के नुक्सान के वारे में ही वोला।	
9.	श्री शमशेर सिंह, मालिक सोमा स्टोन कशर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि इस खनन पटटा की वजह से हमारे कशर को कोई नुक्सान नहीं होना चाहिये। अभी हाल ही में व्यास नदी में जो वाढ़ आई थी हमारे कशर को 5–7 लाख रुपय का नुक्सान हुआ है। उन्होनें भी अपने कशर के होने वाले नुक्सान के लिये खनन पटटे का विरोध किया।	
10.	श्री विनोद शर्मा, उप प्रधान ग्राम पन्चायत, गांव कुलजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होने कहा कि यहां पर दिन में व रात में वहुत खनन हो रहा है सारी रात जे0सी0वी0 से खनन होता है, विभाग वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। उन्होने प्रशासन से मांग की कि आप रात को भी इस इलाके का निर्रिक्षण करें। हमें वताया गया है कि खनन पर सरकार ने रोक लगा रखी है, फिर भी यहां पर खनन हो रहा है। उन्होनें ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण के वारे में प्रशासन को अवगत करवाया। अगर इस खनन पटटा को मन्जूरी प्रदान की गई तो हम इस कशर के खिलाफ मौर्चा खोलने से	

Scanned by CamScanner

		पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें इसके लिये हम अपनी जान भी दे सकते है। अब हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होनें अन्त में इसके विरोध में अपनी आपति दर्ज करवाई।	
11.	श्री अजय मैहरा, उपाध्यक्ष, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होनें सबसे पहले जन सुनवाई में आये हुये कर्मचारी वर्ग व जनता का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी गाडी में प्रेशर हॉर्न लगाया व बजाया जाता है तो उस गाड़ी वाले का तुरन्त चालान कर दिया जाता है अगर कोई वायु प्रदूषण करता है तो उसके ऊपर भी सजा का प्रावधान है, क्योंकि यह सब कानूनन जुर्म है। यह लोग भी खनन करके जुर्म कर रहे है, इन सभी को भी सजा होनी चाहिये। उन्होनें ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण के बारे में प्रशासन को अवगत करवाया। यह लोग खनन व प्रदूषण कर के आने वाली पीड़ी खत्म कर देंगे। उन्होनें जोर देकर कहा कि इन लोगों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होनें अन्त में यह भी कहा कि हमें इस जन सुनवाई में किसी भी सदस्य को सूचित नहीं किया गया।	
12.	श्रीमति सीमा धीमान, जिला परिषद सदस्य लंबागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि, यहां क्रशर व गाड़ियों की वजह से बहुत प्रदूषण हो रहा है। इससे पहले भी यहां पर एक जन सुनवाई हो चुकी है, और हमारे विरोध के बावजूद खनन पटटे को मन्जूरी प्रदान की गई है। उन्होनें भी ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होनें अन्त में इसके विरोध में अपनी आपति दर्ज करवाई।	
13.	श्रीमति कान्ता देवी, महिला मण्डल बजरेहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होनें भी इसके विरोध में अपनी दर्ज आपति करवाई।	
14	श्रीमति केसरी देवी, महिला मण्डल प्रधान बजरेहड़, तहसील	उन्होनें खनन पटटा मालिक से पूछा कि आप लोगों को इस खनन पटटे की मन्जूरी किसने प्रदान की है ? उन्होनें भी खनन	

Scanned by CamScanner

	जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	पटटा के विरोध में अपनी दर्ज करवाई।	
15	श्रीमति अनीता देवी, महिला मण्डल प्रधान टिकरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होनें ध्वनि व वायु प्रदूषण पर अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया। अपने विचार व्यक्त किये। उन्होनें कहा कि, कोई भी पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। यहां पर जितने भी कशर लगे हुए हैं सरकार उन सभी को वन्द करे। उन्होनें अन्त में इसके विरोध में अपनी आपति दर्ज करवाई।	
16	श्रीमति रीता देवी, वार्ड न0 2, गांव कुलचा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	उन्होनें ध्वनि व वायु प्रदूषण पर अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया। उन्होनें सड़क पर गुजरने वाले भारी वाहनो की आवाजाही पर अपनी आपति दर्ज करवाई।	

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान 07 लिखित में सुझाव, विचार एवं शिकायतें प्राप्त हुई। जो कि संलग्न है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि आपने यहां पर अपने सुझाव, विचार एवं शिकायतें दर्ज करवाई हैं उसकी वीडियोग्राफी एवं रिर्पोट तैयार करके सरकार को भेज दी जायेगी। उन्होनें यहां पर लगे सभी कशर के मालिकों को आदेश दिया कि, दिन के समय ही कशर चलाये जाएं। रात के समय किसी भी कशर पर कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण नहीं हो।

अंत में श्री श्री वृजभुषन, पर्यावरण अभियन्ता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपरिथत सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने का आभार प्रकट किया ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला,
जिला कांगड़ा हि.प्र.

Scanned by CamScanner